न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 47 / 2022

प्रार्थीगणः–

1. मिश्री बाई पुत्री मंगलाराम, माता
2. विद्यादेवी पत्नि स्व.श्री देवाराम जी जाति– घांची, निवासी– पाली दरवाजा के बाहर सोजतसिटी, तहसील–सोजत

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. बुधाराम पुत्र भक्तीराम जाति– घांची, निवासी– छोटा खुरर्मिया का वास जोधपुरिया गेट के अन्दर सोजत, तहसील–सोजत, जिला– पाली

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित ओदश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – २२/०५/२२

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित ओदश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया दिनांक– 08.02.2022 को वादस्थ कृषि भूमि की देखरेख करने व कब्जा काश्त करने हेतु मौके पर गई हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि पर आया तथा प्रार्थीया को एलानियां धमकी देने लगा कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि की खातेदारी मेरे स्वयं के नाम की है इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि से तुझे बेदखल कर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो मे विभाजित कर अन्यत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, बख्शीश, रहन इत्यादि कर दूंगा तब प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 01 को कहा कि उपरोक्त कृषि भूमि मेरे नाना स्वर्गीय किशनारामजी की हक, हकूक, खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि मे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। और न ही तुम्हे उपरोक्त कृषि भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो मे विभाजित कर बेचान, हस्तान्तरण, करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। तब अप्रार्थी सं. 01 ने एलानियां कहा कि मैने व मेरे पिता ने उपरोक्त कृषि भूमि अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा दी है। जिसके पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि मे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। तब प्रार्थीया ने राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर स्वर्गीय किशनारामजी के विधिक उतराधिकारियो को छुपाते हुये बाले बाले वादस्थ कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी, जिसे करने को अप्रार्थी सं. 01 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही था। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे अनावश्यक रूप से दखलअंदाजी उत्पन्न कर बेदखल करने पर उतारू है तथा उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर उपरोक्त कृषि भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो मे

उप खण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

विभाजित कर बेचान, हस्तान्तरण करने पर उतारू है। जिसे करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीया के नाना स्वर्गीय किश्नारामजी खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि होने से तथा प्रार्थीया स्वर्गीय किशनारामजी की जाईन्दा पुत्री विद्यादेवी की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीया अपने 1/30 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाये जाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी सं. 1 फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया के हक हिस्से की कृषि भूमि का अन्यत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण कर प्रार्थीया को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे अनावश्यक रूप से दखलअंदाजी कर बेदखल कर देते है। तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयो पैसो मे नही आकां जा सकेगा। इसलिये प्रार्थीया उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि मे अपने 1/30 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा एवम् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है।

उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्राथीया के नाना स्व. किशनारामजी की हक, हकूक कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। स्वर्गीय किशनारामजी की निवर्तीयती स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीया स्वर्गीय किशनारामजी की प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी होने से स्वर्गीय किशनारामजी की खातेदारी कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/30 हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है। यदि अप्रार्थी सं. 01 उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि अन्यत्र किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, बख्शीश रहन इत्यादि कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयो पैसो मे नही आकां जा सकेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा का पेश है। इस प्रकार प्रार्थीया पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर मूल वाद के निस्तारण तक सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में वादीया के नाना स्व . किशनाराम जी के हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1451 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1555, 1458 कुल खसरा 02 कुल' रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1457 रका 0. 9900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, बख्शीश, रहन, वसीयत इत्यादि नही करने से एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 बुधाराम की ओर से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 23.08. 2022 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर राजस्व वाद पेश किया है। जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ठ क के रूप मे पेश किया है जिसका जवाद दावा अप्रार्थी सं. 01 की और से नीचे के पैरा सं. 2 लगायत 14 मे दिया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

जा चुका है। अधिवक्ता अप्राथी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक– 08.02.2022 को प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नही हुई वादस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही है। जब प्रार्थीया का कब्जा काश्त है ही नही तो प्रार्थीया को बेदखल करने की धमकियां देने के कथन सरासर गलत व झूंठ है। प्रार्थीया ने आधारहीन यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया किसी के बहकावे मे आकर विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व वाद पेश किया है तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड खातेदार है तथा उक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रार्थीया की माता को कभी काश्त करते देखा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया बिना कब्जा काश्त के किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया का कतई 1/30 हिस्सा नही बनता है। जब प्रार्थीया का हक हिस्सा है ही नही तो अपूर्णिय क्षति पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीया की माता का भी उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे कतई नही बनता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी संख्या 01 अपूर्णिय क्षति होगी एवं अपने जायज हक व अधिकारो से मेहरूम हो जावेगा। अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड खातेदार है। जिसे कतई अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955, सपठित ओदश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा सं. 1451 रकबा 1.3600 है., 1455 रकबा 0.4500 है., 1458 रकबा 0.9900 है., 1457 रकबा 0.9900 है. किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीया की कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि का अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड खातेदार है तथा उक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रार्थीया की माता को कभी काश्त करते देखा है। प्रार्थीया का कतई 1/30 हिस्सा नही बनता है। जब प्रार्थीया का हक हिस्सा है ही नही तो अपूर्णिय क्षति पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया की माता का भी उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे कतई नही बनता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी संख्या 01 अपूर्णिय क्षति होगी एवं अपने जायज हक व अधिकारो से मेहरूम हो जावेगा। अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्डेड

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

खातेदार है। जिसे कतई अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल कर अप्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में **अप्रार्थी** का बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित है एवं हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

–::आदेश::–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner